झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

06 हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)--1907/09 _______/ 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन रेशम प्रक्षेत्र तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए संलग्न नियमावली गठित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13
(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)– 1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि नियमावली की 250 प्रतियाँ उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)– 1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)– 1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/निदेशक, उद्योग/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, राँची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/राज्यपाल सचिवालय, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची/ संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक, झारखंड, राँची/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 ________/ 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन रेशम प्रक्षेत्र तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मांमलों के लिए संलग्न नियमावली गठित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13
(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13/

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि नियमावली की 250 प्रतियॉ उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13/

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 1735 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 /राँची, दिनांक 11.09.13/

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/निदेशक, उद्योग/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, राँची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/राज्यपाल सचिवालय, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची/ संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक, झारखंड, राँची/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, राँची।

Adhisuchana

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

अधिसूचना

संख्या______ ________________ / राँची, दिनॉक__________ ____________

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन रेशम प्रक्षेत्र तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली गठित करते हैं:–

अध्याय –1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

I यह नियमावली झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली 2013 कही जायेगी।
II इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
III यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
IV इसके प्रभाव से पूर्व निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इस हद तक स्वतः संशोधित होंगे।

2. **परिभाषाएँ :–** जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में –

I 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
II 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग;
III 'सेवा' से अभिप्रेत है रेशम संवर्ग की सेवा;
IV 'संवर्ग' से अभिप्रेत है रेशम संवर्ग;
V 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची;
VI 'नियमावली' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य रेशम अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2013;
VII 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है, निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची;
VIII 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

3. **संवर्ग की रचना एवं बल :**

रेशम प्रक्षेत्र में चार कोटि के पद सृजित हैं :

(क) अग्र परियोजना पदाधिकारी / परियोजना पदाधिकारी / वरीय शोध सहायक / फार्म अधीक्षक

(ख).
- i सहायक अधीक्षक
- ii शोध सहायक
- iii तकनीकी सहायक(मुख्यालय)
- iv प्रबंधक, रियरिंग
- v प्रबंधक, ग्रनेज
- vi प्रबंधक, फार्म
- vii प्रबंधक
- viii शिक्षक(सेरीकल्चर / बुनाई / रीलिंग)
- xi व्याख्याता(बुनाई, रेशम एवं विज्ञान)
- x व्यवसाय प्रबंधक

(ग) सुपरवाइजर, अधिदर्शक एवं समकक्ष पद

(I) सुपरवाइजर
(II) अधिदर्शक
(III) परिशिष्ट 'ख' के क्रमांक 3 के सभी पद

(घ) कीटपालक एवं समकक्ष पद–

(I) कीटपालक
(II) सहायक सह उत्पादक
(III) पैकर सह तौलक
(IV) कीटपालक सह माली
(V) बुनकर
(VI) रंगरेज
(VII) सूतकातक
(VIII) ब्यालर अटेंडेण्ट
(IX) तकनीशियन(ग्रेनेज, रियरिंग एवं फार्म)
(X) रीलर

तकनीकी पदों की विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

अध्याय–2(क)

अग्र परियोजना पदाधिकारी / वरीय शोध सहायक / फार्म अधीक्षक पर भर्ती / नियुक्ति (PB-2, वेतनमान् 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी रेशम प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में अग्र परियोजना पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे।
2. यह पद राजपत्रित वर्ग–II का पद है।
3. यह पद सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद की प्रोन्नति का पद है।
4. रिक्तियों का नियतीकरण:– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना की जाएगी।
5. भर्ती के स्रोत :– (क) प्रोन्नति – 100%

अध्याय–2(ख)

सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद पर भर्ती / नियुक्ति (PB-2, वेतनमान् 9300–3480 ग्रेड वेतन–4200)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी रेशम प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे। इस संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, राँची होंगे।
2. रिक्तियों का नियतीकरण:– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना की जाएगी।
3. रिक्तियों में आरक्षण –

(क) सीधी भर्ती – 75%
(ख) प्रोन्नति – 25%

अध्याय–2(ग)

अधिदर्शक एवं समकक्ष पद पर भर्ती/प्रोन्नति

(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–2400)

1. इस संवर्ग में प्रोन्नत कर्मी रेशम प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में अधिदर्शक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे। इस संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, राँची होंगे।
2. रिक्तियों का नियतीकरण – प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना की जाएगी।
3. भर्ती का स्रोत – 100% प्रोन्नति द्वारा

अध्याय–2 (घ)

कीटपालक एवं समकक्ष पदों पर भर्त्ती/नियुक्ति

(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800 दसवीं उत्तीर्ण हेतु)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी रेशम प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में कीटपालक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे। इस संवर्ग में नियुक्ति अधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, राँची होंगे।
2. रिक्तियों का नियतीकरण – प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना की जाएगी।
3. रिक्तियों में आरक्षण – (क) सीधी भर्त्ती –100%
   (ख) प्रोन्नति – शून्य

अध्याय–3(क)

सीधी भर्ती द्वारा सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति

(PB-2, वेतनमान् 9300–3480 ग्रेड वेतन–4200)

1. सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया– रिक्तियों की संख्या का कोटिवार आरक्षण रोस्टर एवं अधियाचना प्राप्त होने पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती हेतु पदों को विज्ञापित किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार पैनल से सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
2. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हत्ताएँ :–

   i. शैक्षणिक योग्यता – (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/वीभिंग/डाईंग–प्रिंटिंग) की डिग्री

   अथवा

   (ख) बी०एस०सी०, रेशम/कृषि/वानिकी/वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

   (II) उम्र– निर्धारित तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी। अनु०जाति/जन जाति एवं महिला उम्मीदवारों/विकलांगों /सरकारी कर्मी /OBC को कार्मिक, प्रसासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप छूट देय होगी।

3. रिक्तियों का संसूचन— प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्तियों की सूचना प्रशासी विभाग, आयोग को देगा।

अध्याय –3 (ख)
कीटपालक एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति
(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800)

1. सीधी नियुक्ति की प्रक्रियाः— रिक्तियों की संख्या का कोटिवार आरक्षण रोस्टर एवं अधियाचना प्राप्त होने पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती हेतु पदों को विज्ञापित किया जाएगा। आयोग द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार पैनल से इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।

2. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हत्ताएँ –

(I) शैक्षणिक योग्यता— मैट्रिकुलेशन एवं झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन (सेरिकल्चर/सिल्क विभिंग/सिल्क डाईग–प्रिटिंग) उत्तीण अथवा दो वर्षीय (10+2) इन्टर व्यावसायिक कोर्स (सेरिकल्चर/टेक्सटाइल्स उतीर्ण)

— ब्यॉलर अटेण्डेंट – शैक्षणिक योग्यता— मैट्रिक के साथ आई0टी0आई0 (फीटर) ट्रेड में उतीर्ण।

(II) उम्र— निर्धारित तिथि को न्यूनतम–18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप होगी। अनु०जाति/अनु०जन जाति एवं महिला/विकलांगों/ओ0बी0सी0 अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों/सरकारी कर्मी को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप छूट देय होगी।

1. रिक्तियों का संसूचन— प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना कर संसूचित की जाएगी।

अध्याय–4

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

1. प्रोन्नति का पद सोपान – संवर्ग में उल्लिखित पदों का पद सोपान परिशिष्ट 'क' के अनुरूप होगा।
2. प्रोन्नति हेतु कालावधि -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप होगी।
3. रिक्तियों का नियतीकरण – प्रत्येक वर्ष की 1 ली जनवरी को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का नियतीकरण किया जाएगा।
4. प्रोन्नति की प्रक्रिया— प्रत्येक श्रेणी के पदों पर निर्धारित प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाएगी। आकलित रिक्तियों का आरक्षणवार रोस्टर तैयार करने के उपरांत वरीयता सह योग्यता के आधार पर अपेक्षित अर्हत्ता वाले कर्मियों की प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

अध्याय -5

विविध

1. **परिवीक्षा (Probation)**– परिशिष्ट 'क' के क्रमांक–1 एवं 3 के पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्षों की होगी। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की स्थिति में ही उनकी सेवा नियमित की जाएगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि एक साल बढ़ायी जा सकती है। इस अवधि में सेवा असंतोषजनक पाये जाने, उक्त सेवा में नियुक्ति के योग्य न होने, कार्य हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कर्मी की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

2. **प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा**– समय समय पर विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा सकता है जिसे सफलतापूवर्क पूर्ण करना संबंधित कर्मी की जिम्मेवारी होगी। प्रत्येक वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए विहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात हीं कार्मिक प्रबंध से संबंधित सभी लाभ यथा सेवा सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति इत्यादि प्रदान की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों के अनुरूप हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जन० जातीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक होगा। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जन जातीय भाषा संबंधी परीक्षा पास न होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि अवरूद्ध रहेगी। उपर्युक्त परीक्षा पास करने की बाध्यता सभी संवर्ग के कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी। अग्र परियोजना पदाधिकारी पद धारकों को एक वर्ष के अंदर विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अन्यथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी।

3. **सेवा संपुष्टि**– संवर्ग में नियुक्त/प्रोन्नत कर्मियों की सेवा संपुष्टि झारखण्ड सेवा संहिता के नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। सेवा सम्पुष्टि के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीयं क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा और कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही सेवा सम्पुष्टि की जाएगी।

4. **प्रशासनिक नियंत्रण** – संवर्ग के अंतर्गत सभी पद राज्य स्तरीय हैं। इसलिए सेवा शर्तों से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. **अनुशासनिक कार्रवाई**– संवर्ग के पदधारकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार विभागाध्यक्ष के अधीन होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

इस दण्ड के विरूद्ध सचिव, उद्योग विभाग के समक्ष दण्डादेश की प्राप्ति अथवा जानकारी से 60 दिनों के भीतर अपील कर सकेगें। इस सम्बन्ध में सचिव, उद्योग विभाग का आदेश अंतिम होगा।

6. **स्थानान्तरण**– इस संवर्ग के सभी कर्मियों की सेवा राज्य स्तरीय सेवा है। संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर गठित स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। स्थापना समिति निम्नवत होगी–

(क)	निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प	–	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक (रेशम)	–	सदस्य
(ग)	अवर सचिव (स्थापना)/उप उद्योग निदेशक(स्थापना)	–	सदस्य सचिव
(घ)	अनुसूचित जाति/जनजाति का एक विभागीय पदा०	–	सदस्य
(ड.)	उप उद्योग निदेशक (हस्तकरघा/हस्तशिल्प)	–	सदस्य

7. सेवा की अन्य शर्तें –

(क) पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र – किसी कर्मी को उनके विशेष कार्य/उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करने या प्रशस्ति पत्र देने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा जो उच्चाधिकार गठित समिति द्वारा किए कार्यों के मूल्यांकन के उपरांत अनुशंसा के आलोक में प्रदत्त किया जाएगा।

(ख) सेवा संवर्ग के संबंधित कर्मियों का वार्षिक चारित्रिक अभ्युक्ति नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आलेखित की जाएगी।

(ग) संवर्ग के कर्मियों को देय सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के तहत लाभों की स्वीकृति/प्रोन्नति देय तिथि से सरकार द्वारा घोषित नियमानुसार लागू होगी।

(घ) अवकाश/सेवापुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत एतदर्थ अनुदेश प्रभावी होंगे।

8. **प्रकीर्णः–**

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। पदाधिकारी/कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को हागी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

9. **निरसन :–**

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

व्यावृत्ति

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश के द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13

सचिव

उद्योग विभाग

झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट 'क'

पदोन्नति हेतु पद सोपान

उद्योग सेवा संवर्ग (राजपत्रित वर्ग–2)
वेतनमान PB-2, 9300-34800, (GPay 4800)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

अग्र परियोजना पदा०/परियोजना पदा० / वरीय शोध सहायक/फार्म अधीक्षक
राजपत्रित वर्ग – 2 (वेतनमान PB-2, 9300-34800, (GPay 4600)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष
अराजपत्रित वेतनमान PB-2, 9300-34800, (GPay 4200)

↑ **सीधी नियुक्ति – 75 %**
प्रोन्निति – 25 %

अधिदर्शक एवं समकक्ष पदधारक
(वेतनमान नया 5200–20200, G. Pay 2400 इंटर उत्तीर्ण हेतु)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

तकनीशियन एवं समकक्ष
(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900 के स्वीकृत पदों के खाली होने पर कीटपालक एवं समकक्ष के साथ मर्ज कर लिया जाएगा, वर्तमान में प्रोन्नति में वरीयता तकनीशियन को दिया जाएगा)
कीटपालक एवं समकक्ष पदधारक
वेतनमान
(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800 दसवीं उत्तीर्ण हेतु)
सीधी नियुक्ति 100%

परिशिष्ट 'ग'

क्र० सं०	पदों का नाम (नया वेतनमान सहित)	नियुक्ति की प्रक्रिया सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के प्रतिषत सहित	सीधी नियुक्ति			प्रोन्नति द्वारा		अभ्युक्ति
			शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित पदधारक/फीडर पद का नाम	योग्यता एवं अनुभव	
1	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद 9300–34800 ग्रेड पे – 4200	सीधी नियुक्ति 75% प्रोन्नति द्वारा 25%	बी०एस०सी० सिल्क टेक/बी०एस०सी० रेशम/ कृषि / वानिकी / जन्तु विज्ञान के साथ के०रे०बो० के संस्थान से 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 वर्षों के रेशम उत्पादन में अनुभव के साथ	21	अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी।	अधिदर्शक एवं समकक्ष	अधिदर्शक से प्रोन्नति 50% जो 10 वर्षो की सेवा पुरी कर चुके हो	अ०[illegible]/अ०ज०जा०एवं महिला उम्मीदवारों को कार्मिक विभाग के नियमानुसार छूट
2	अधिदर्शक एवं समकक्ष पद 5200–20200 ग्रेड पे – 2400	प्रोन्नति द्वारा 100%				कीटपालक एवं समकक्ष	कीटपालक जो दस वर्षो की सेवा पुरी कर चुके हैं	तथैव
3	कीटपालक एवं समकक्ष 5200–20200 ग्रेड पे – 1800	सीधी नियुक्ति 100%	मैट्रिकुलेशन के साथ एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा दो वर्षीय (10+2) इंटर व्यावसायिक (सेरीकल्चर/टेक्सटाइल)	18		–	–	–

नोट : 1. नए वेतनमान में तकनीशियन/कीटपालक एवं समकक्ष पद का वेतनमान एक होने के कारण यह सभी पद आमेलित समझे जाएगें।

परिशिष्ट 'ख'

झारखण्ड रेशम संवर्ग में स्वीकृत पद विवरणी –

क्र	पदों के पदनाम	वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान	वर्तमान स्वीकृत बल	अभ्युक्ति
1.	अग्र परियोजना पदाधिकारी / परियोजना पदाधिकारी / अधीक्षक / फार्म अधीक्षक / वरीय शोध सहायक	PB-2, 9300-34800, Grade pay-4600	44	
2.	सहायक अधीक्षक / प्रबंधक / शोध सहायक / तकनीकी सहायक (मुख्यालय) / व्यवसाय प्रबंधक / प्रबंधक (फार्म / रियरिंग / ग्रेनेज) / ब्याख्याता, बुनाई / ब्याख्याता, विज्ञान / ब्याख्याता, रेशम / ब्याख्याता रीलिंग– स्पीनिंग / ब्याख्याता, डाइंग प्रिटिंग / रीलिंग शिक्षक / बुनाई शिक्षक / सेरीकल्चर शिक्षक	PB-2, 9300-34800, Grade pay-4200	70	1. इस पद पर सिर्फ तकनीकी अभियंत्रण डिग्री वाले पदधारकों की 75%सीधी नियुक्ति होगी। 2. इस संवर्ग में अधिदर्शक संवर्ग से 25% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।
3.	अधिदर्शक एवं समकक्ष पद	वेतनमान– 5200–20200 ग्रेड पे – 2400	229	यह पद कीटपालकों का प्रोन्नत पद है।
4	तकनीशियन एवं समकक्ष	वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900	10	यह पद खाली होने पर कीटपालक एवं समकक्ष के साथ मिला दिया जाएगा।
	कीटपालक एवं समकक्ष पद	वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800 दसवीं उत्तीर्ण हेतु)	285	एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स वाले की सीधी नियुक्ति की जाएगी।

परिशिष्ट 'ग'

क्र० सं०	पदों का नाम (नया वेतनमान सहित)	नियुक्ति की प्रक्रिया सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के प्रतिषत सहित	सीधी नियुक्ति			प्रोन्नति द्वारा		अभ्युक्ति
			शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित पदधारक/फीडर पद का नाम	योग्यता एवं अनुभव	
1	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पद 9300–34800 ग्रेड पे – 4200	सीधी नियुक्ति 75% प्रोन्नति द्वारा 25%	बी०एस०सी० सिल्क टेक/बी०एस०सी० रेशम/ कृषि / वानिकी / जन्तु विज्ञान के साथ के०रे०बो० के संस्थान से 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 वर्षों के रेशम उत्पादन में अनुभव के साथ	21	अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी।	अधिदर्शक एवं समकक्ष	अधिदर्शक से प्रोन्नति 50% जो 10 वर्षो की सेवा पुरी कर चुके हो	अ०जा०/अ०ज०जा०एवं महिला उम्मीदवारों को कार्मिक विभाग के नियमानुसार छूट
2	अधिदर्शक एवं समकक्ष पद 5200–20200 ग्रेड पे – 2400	प्रोन्नति द्वारा 100%				कीटपालक एवं समकक्ष	कीटपालक जो दस वर्षो की सेवा पुरी कर चुके हैं	तथैव
3	कीटपालक एवं समकक्ष 5200–20200 ग्रेड पे – 1800	सीधी नियुक्ति 100%	मैट्रिकुलेशन के साथ एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा दो वर्षीय (10+2) इंटर व्यावसायिक (सेरीकल्चर/ टेक्सटाइल)	18		–	–	–

नोट : 1. नए वेतनमान में तकनीशियन/कीटपालक एवं समकक्ष पद का वेतनमान एक होने के कारण यह सभी पद आमेलित समझे जाएगें।